उपायुक्त का कार्यालय, गढ़वा

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा

गढ़वा जिला में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष **2016–17** में निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय, वृद्ध, वृद्धा एवं भिक्षुक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहें हैं के बीच मुफ्त कम्बल वितरण के लिए कम्बल क्रय हेतु निविदा अधिकृत निबंधित प्रतिष्ठित संस्था निर्माता/थोक आपूर्तिकर्ता/विक्रेता से निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है :–

निविदा की शर्तें :–

क्र0	सामग्री का नाम	साईज	वजन	दर	अभ्युक्ति
01	ऊनी कम्बल	90"X60"	न्यूनतम 2.800 कि0ग्रा0	प्रति अदद	सभी कम्बलों में ''श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची'' के नाम का लोगो (Logo) लगाना आवश्यक होगा।

1. इच्छुक निविदा दाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा **दिनांक 29.11.2016** के **11.00 बजे** अपराह्न तक गढ़वा समाहरणालय स्थित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाएं, उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न में उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, गढ़वा के पदनाम से देना होगा। अग्रधन/जमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. एक निविदादाता/प्रतिष्ठान को एक ही कम्बल का विवरणी एवं नमूना प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक कम्बल की विवरणी/मान्य नहीं होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा का निष्पादन मूलतः गुणवता एवं दर के आधार पर किया जाएगा। आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल का नमूना पर पूर्ण विवरण यथा आकार, दर, वजनादि अंकित होना चाहिए।
5. निविदा के साथ वाणिज्यकर निबंधन, पैन संख्या, अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण–पत्र, स्वच्छता प्रमाण–पत्र, अद्यतन आयकर रिर्टन की विगत तीन वर्ष की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता को पूर्व में कार्य नहीं करने के आरोप में काली सूची में नहीं डाले गये हैं, इसका शपथ पत्र देना होगा।
7. वैसे प्रतिष्ठान के निविदादाता जिनका नाम किसी अन्य जिला/विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज कर दिया गया है, अगर वही व्यक्ति किन्हीं अन्य व्यक्ति के नाम से नया प्रतिष्ठान बना कर निविदा देंगे, तो उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर सक्षम धारा के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
8. आपूर्ति किया गया कम्बल निविदा में प्रस्तुत किये गये नमूना के अनरूप होना चाहिए, अगर किसी तरह की भिन्नता पायी गयी, तो आपूर्तिकर्त्ता पर सक्षम धारा के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायगी तथा उनके द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही साथ उनके द्वारा आपूर्ति किये गये कम्बलों को जब्त कर लिया जायगा।
9. निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त कोई कर हथालन या परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।
10. सफल निविदादाता को **दिनांक 08.12.2016** तक स्वीकृत नमूना के अनुरूप कम्बल गढ़वा जिला के सभी प्रखण्डों में जिला द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आपूर्ति करना होगा एवं कम्बल आपूर्ति के उपरांत प्राप्ति रसीद जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा करना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का भाड़ा या परिवहन व्यय अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. निर्धारित तिथि के अन्दर आपूर्ति नहीं होने पर जमानत राशि जब्त करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य निविदा दाता को आपूर्ति आदेश दिया जाएगा।
12. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त,
गढ़वा।